

प्रेषक,

हरेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
न्याय एवं अपर विधि परामर्शी
उ०प्र० शासन।

द्वारा—प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय— सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गयी सेवा अवधि को न्यायिक
सेवा अवधि के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर वर्ग सेवा प्रतियोगिता परीक्षा—1995 के आधार पर पत्र संख्या—858, दिनांक 11 फरवरी, 1958 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति सहायक लेखाधिकारी के पद पर हुई थी, जिसके क्रम में प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24.03.1998 को योगदान प्रस्तुत कर वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 24.03.1998 को कार्यभार ग्रहण किया गया था (छाया संख्या—2531, दिनांक 10 जून, 1998 के द्वारा परिवार कल्याण निदशालय में की गयी थी (छाया प्रति संलग्न)।

प्रार्थी का चयन उ०प्र० लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा, 1999 के आधार पर उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पर की गयी। परिणामस्वरूप प्रार्थी के द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर नये पद सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

निदेशक, कोषागार के पत्र संख्या—269, दिनांक 28 अप्रैल, 2003 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सहायक लेखा संवर्ग से कार्यभार छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० के द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2003 को आदेश (छाया प्रति संलग्न) प्रदान करते हुए वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नये पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रार्थी दिनांक 30.4.2003 को कार्यमुक्त हो गया (प्रभार प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न) तथा दिनांक 01.05.2003 को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद कानपुर—देहात में योगदान आख्या प्रस्तुत कर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, कक्ष संख्या—2 के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया (छाया प्रति संलग्न)।

मात्र
9.3.21

संयुक्त निदेशक, प्रशासन के आदेश संख्या—2144, दिनांक 21.08.2003 के द्वारा सहायक लेखाधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय के द्वारा प्रार्थी की सेवा पुस्तिका जनपद कानपुर—देहात को प्रेषित की गयी, जो कि वहां प्राप्त होकर प्रार्थी की न्यायिक सेवा की सेवा पुस्तिका के साथ सलग्न कर दी गयी।

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2003 को जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत कर ज्वानिंग टाइम को विशेष सी0एल0 के रूप में उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया(छाया प्रति संलग्न)। जिसके क्रम में मा0 उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 19.02.2004 (छाया प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा प्रस्तुत आख्या को जनपद न्यायाधीश के द्वारा पत्र संख्या—274/XV, दिनांक 23 मार्च, 2004 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को अग्रसारित किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा जारी पत्र संख्या—13332, दिनांक 02.09.2004 के द्वारा प्रार्थी सहायक लेखाधिकारी के पद से कार्यमुक्त होने तथा अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कानपुर देहात के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के क्रम में 6 दिन के ज्वानिंग टाइम को विशेष सी0एल0 के रूप में उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान किया गया (छाया प्रति संलग्न)।

इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1998 से दिनांक 30.04.2003 तक सहायक लेखाधिकारी, परिवार कल्याण, महानिदेशालय के पद पर कार्य करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्त होकर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, कानपुर देहात के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त दोनों सेवा उ0प्र0 राज्य सरकार के अधीन है तथा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यभार नये पद पर ग्रहण किया गया।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि कि सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गयी सेवा अवधि को प्रार्थी की न्यायिक सेवा अवधि में जोड़े जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थी के द्वारा ई—सर्विसेज भी आवेदन कर दिया गया है।

स्नामा

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
मा० ३२१
(हरेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव
आई०डी० नं०—य०पी०—६०२६